

संचिका सं०-07/बजट-46-13/2022 - 320(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा०प्र०स०

सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 07/09/2026

विषय:- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (PMCH), पटना के परिसर में (132/33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेन्द्र के अधिष्ठापन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रु० 3,25,16,63,000/- (रुपये तीन अरब पच्चीस करोड़ सोलह लाख तिरसठ हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु० 20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना के रूप में राज्य सरकार द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को फेजवार (तीन चरणों में) 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं 5462 शैया वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित कर देश के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

2- भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त भविष्य की जरूरत का ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के स्थल निरीक्षण एवं संभाव्यता अध्ययन के उपरांत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना द्वारा परिसर में (132/33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेन्द्र के अधिष्ठापन हेतु कुल रु० 2,55,89,71,000/- (रुपये दो अरब पचपन करोड़ नवासी लाख एकहत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०-336(7) दिनांक-23.12.2022 के द्वारा दी गई थी।

3- पुनः कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा संचरण लाइन के सर्वेक्षणोपरांत पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 321.95 करोड़ रुपये आकलित की गयी, जिसमें इनके द्वारा Contingency @1% अधिभारित करने के उपरांत रु० 3,25,16,63,000/- (रुपये तीन अरब पच्चीस करोड़ सोलह लाख तिरसठ हजार) मात्र की राशि का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध करायी गयी।

तदक्रम में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (PMCH), पटना के परिसर में (132/33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेन्द्र के अधिष्ठापन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 3,25,16,63,000/- (रुपये तीन अरब पच्चीस करोड़ सोलह लाख तिरसठ हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-237(7), दिनांक-28.10.2024 द्वारा दी गयी।

-2-

4- इस योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी को अवतक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है:-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्ययादेश/आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2024-25	15,00,00,000/-	सं०-382(7), दिनांक-23.01.2025
2	2026-27	25,00,00,000/-	सं०-162 (7A), दिनांक- 19.05.2026
कुल आवंटित राशि		40,00,00,000/-	

5- उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (PMCH), पटना के परिसर में (132/33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेंद्र के अधिष्ठापन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रु० 3,25,16,63,000/- (रुपये तीन अरब पच्चीस करोड़ सोलह लाख तिरसठ हजार) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु० 20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6- उक्त कार्य बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-336(7), दिनांक-23.12.2022 एवं राज्यादेश सं०-237(7), दिनांक-28.10.2024 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

7- इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0111-मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-4210011100111 अंतर्गत विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

8- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2830/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 2199/वि०, दिनांक-24.03.2017, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

10- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना वी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को खाता अंतरण के माध्यम से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PTSPLA014 विपत्र कोड- के अन्तर्गत ledger ID-20128 में उपलब्ध करायेंगे। कार्यान्वयन एजेंसी राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

11- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना के पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

12- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

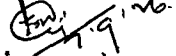
13- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहगति संचिका संख्या-07/बजट-46-13/2022 के पृष्ठ-46/टि० में प्राप्त है।

14- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

-3-

- 15- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
 16- यह मात्र रसीकृत्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वरामभाजन


 (शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

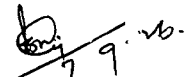
ज्ञापक:-07/बजट-46-13/2022-320(7A)/स्वा0, पटना,

दिनांक- 07/09/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।


 सरकार के अपर सचिव